



2026:AHC:67929

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम ज़मानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या- 1537 वर्ष

2026

मोहन सिंह और अन्य आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: राजीव सिसोदिया, शशांक द्विवेदी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: अमित राय, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 72

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव लोचन शुक्ल

1. आवेदकों के अधिवक्ता, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत अग्रिम ज़मानत आवेदन केस अपराध संख्या-482 वर्ष 2025 में आवेदकों की ओर से धारा 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस., थाना-चांदपुर, जिला बिजनौर के तहत दायर किया गया है, जिसमें उन्हें अग्रिम ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है क्योंकि आवेदकों को उपर्युक्त मामले में उनकी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. आवेदक को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.11.2025 के आदेश द्वारा धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या-8867 वर्ष 2025 के तहत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम ज़मानत याचिका में अग्रिम ज़मानत प्रदान की गई थी।
4. आवेदकों के अधिवक्ता का तर्क है कि अब आरोप पत्र अतिरिक्त धाराओं में प्रस्तुत किया गया है जिसके लिए आवेदकों ने संबंधित अदालत के समक्ष अग्रिम ज़मानत के लिए आवेदन किया था। चूंकि अब जांच में जोड़े गए अपराधों में आजीवन कारावास की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सजा भी शामिल है, इसलिए आवेदकों को उनकी गिरफ्तारी की आशंका है, जब उन्हें संबंधित अदालत द्वारा तलब किया जाएगा।

5. दूसरी ओर, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री अमित राय ने कहा कि हालांकि, पुलिस द्वारा आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है, हालांकि, आवेदकों को आज तक तलब नहीं किया गया है।

6. ऐसी परिस्थितियों में, वह तर्क देता है कि गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं है। उन्होंने आगे बताया है कि आवेदक संख्या-2 का दो मामलों का आपराधिक इतिहास है।

7. अपर शासकीय अधिवक्ता ने सूचनाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क का भी समर्थन किया।

8. इस न्यायालय ने धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या-8867 वर्ष 2025 के तहत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन में निम्नलिखित आदेश पारित किया:

1. आवेदकों की ओर से दायर पूरक हलफनामा, जिसे अभिलेखों पर लिया जाता है।

2. आवेदकों के अधिवक्ता श्री राजीव सिसोदिया, प्रथम सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री अमित राय, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता

3. प्रस्तुत आवेदन केस अपराध संख्या-482 वर्ष 2025 में बी.एन.एस., थाना-चांदपुर, जिला बिजनौर की धारा 61(2), 318(4), 352, 351(2) के तहत अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदकों को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

4. आवेदकों के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि कथित बिक्री विलेख को रद्द करने के लिए मूल मुकदमा दायर करने के बाद 8 महीने की काफी देरी के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक संख्या-2 ने अचल संपत्ति को गिरवी रखकर पहले सूचनाकर्ता से 5 लाख रुपये का ऋण लिया था और बाद में आवेदक संख्या-2 ने पहले सूचनाकर्ता की बेटी के पक्ष में उक्त भूमि का बिक्री

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विलेख निष्पादित किया था। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक का दो मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसे आज दायर पूरक हलफनामे में समझाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं और वे जांच एजेंसी या अदालत द्वारा आवश्यक होने पर पेश होंगे। यह कहा गया है कि यदि आवेदकों को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और जांच में सहयोग करेंगे और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे।

5. प्रथम सूचनाकर्ता के अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदकों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी संपत्ति को गिरवी रखकर एक बैंक, अर्थात् अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चांदपुर, जिला बिजनौर से ऋण प्राप्त किया है, जिसका बिक्री विलेख उसके द्वारा पहले सूचनाकर्ता की बेटी के पक्ष में निष्पादित किया गया है।

6. दूसरी ओर, अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप के अनुसार, आवेदक संख्या-2 ने संपत्ति को गिरवी रखकर बैंक अर्थात् अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चांदपुर, जिला बिजनौर से ऋण लिया था, जिसमें उक्त भूमि का बिक्री विलेख पहले सूचनाकर्ता की बेटी के पक्ष में निष्पादित किया गया है। आवेदक संख्या-1 उक्त बिक्री विलेख का सीमांत गवाह है और कहा जाता है कि आवेदकों ने 28.01.2025 को मूल वाद दायर किया है और 03.09.2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक का दो मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसे आज दायर पूरक हलफनामे में समझाया गया है।

8. यह कहा जा सकता है कि **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एस.सी.सी. 694** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि अग्रिम जमानत का निर्णय लेते समय, न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववर्ती, अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और उस न्यायालय को अभियुक्त के खिलाफ पूरी उपलब्ध सामग्री का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

9. प्रस्तुत मामले में, अग्रिम जमानत के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांत पर विचार करते हुए, पक्षों के लिए अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ, आवेदकों की भूमिका और मामले के सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों पर, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत के लिए एक मामला बनाया जाता है।

10. अग्रिम जमानत आवेदन की **अनुमति** है।

11. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदकों - मोहन सिंह और बलवीर सिंह की गिरफ्तारी की स्थिति में, अपराध में शामिल हैं, उन्हें निम्नलिखित शर्तों के साथ धारा 173(2) द०प्र०स० / 193(3) बी.एन.एस.एस. के तहत पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा: -

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और वे निर्धारित तारीख को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा छूट न दी गई हो;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

12. किसी भी शर्त के उल्लंघन में, अभियोजन पक्ष आवेदकों को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।



9. जांच के दौरान, आवेदकों को यह नहीं कहा गया है कि उन्होंने उन्हें दी गई अग्रिम जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है। आरोप पत्र अब बी.एन.एस. की धारा 338, 336(3), 340(2) के तहत अपराध के लिए प्रस्तुत किया गया है। अन्य प्रावधानों के अलावा जिनके लिए आवेदकों को जांच के लंबित रहने के दौरान अग्रिम जमानत दी गई थी। आवेदक संख्या-2 का आपराधिक इतिहास जो बताया गया है, उसमें अधिकतम 7 साल की कैद के साथ दंडनीय अपराध दिखाए गए हैं। आवेदक संख्या-2 को दोनों मामलों में जमानत पर बताया गया है।

10. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदकों को जांच के लंबित रहने के दौरान अग्रिम जमानत दी गई थी और ऐसा नहीं कहा जाता है कि उन्होंने इस प्रकार दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है।

11. यह न्यायालय संबंधित न्यायालय के मुकदमे के समापन तक आवेदकों को अग्रिम जमानत देना उचित समझता है।

12. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आवेदकों के अग्रिम जमानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।

13. आवेदकों, मोहन सिंह और बलवीर सिंह की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित थाना/न्यायालय के थानाध्यक्ष की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि में दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर उपरोक्त मामले के अपराध में तत्काल रिहा किया जाएगा: -

- i. आवेदक आवश्यकतानुसार पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध कराएंगे;
- ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे ताकि उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे;
- iv. कि आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेंगे/डराएंगे नहीं;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय ज़मानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां ऊपर की गई टिप्पणियां विशेष रूप से प्रस्तुत अग्रिम ज़मानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और उन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

मार्च 30, 2026 / एस.ए.

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

Translated Version. Not for Legal Use.